बैठक दिनांक 06.07.2022
महत्वपूर्ण / समयबद्ध / ई–मेल
संख्या–1484 / आठ–3–22–187 विविध / 18टी0सी0

प्रेषक,

अजय चौहान,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उ0प्र0।
3. **जिलाधिकारी / नियंत्रक प्राधिकारी,**
   समस्त विनियमित क्षेत्र,
   उ0प्र0।
4. **अध्यक्ष,**
   समस्त विशेष क्षेत्र,
   विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनॉक : 05 जुलाई, 2022**

विषयः– उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम–2011 को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1484 / आठ–3–22–187विविध / 18 टी0सी0 दिनांक 22.06.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करते हुए प्रमुख सचिव, लोक सेवा प्रबन्धन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–आई / 181629 / 2022 / 91–1099 / 6 / 2022 दिनांक 23.06.2022 **(छायाप्रति संलग्न)** का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त पत्र दिनांक 23.06.2022 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि जनहित गारण्टी अधिनियम के लागू होने के पश्चात जन सामान्य को इस संबंध में जागरूक किये जाने हेतु की गयी कार्यवाही के साथ ही इसके अंतर्गत कुल कितने मामले प्राप्त हुये, कितने समयान्तर्गत निस्तारित हुए, कितने समयान्तर्गत या सही निस्तारित नहीं किये गये तथा ऐसे मामलों में कितने अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी। इन सभी बिन्दुओं पर तथ्यात्मक सूचनाओं के साथ अधिनियम के और प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 27.06.2022 को अपराह्न 04:00 बजे से 05:00 बजे तक लोक भवन स्थित उनके सभाकक्ष में आहूत बैठक अपरिहार्य कारणवश स्थगित करते हुए **उक्त बैठक अब दिनांक 06.07.2022 को अपरान्ह् 04:30 से 5:30 बजे पुनर्निर्धारित की गयी है।** यह भी अवगत कराना है कि कतिपय प्राधिकरणों की आख्याओं में निर्धारित अवधि के उपरान्त भी लम्बित मामलों के लिए किसी भी कार्मिक का उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाने का उल्लेख नहीं किया गया और कॉलम रिक्त छोड़ा गया है। उक्त से विदित है कि ऐसे प्राधिकरणों द्वारा शासन के निर्देशों को गम्भीरता से नहीं लिया गया है। यह स्थिति आपत्तिजनक होने के साथ–साथ शासन के निर्देशों की अवहेलना है।

(क्रमश : 2)

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में निर्धारित प्रारूप पर सूचना एवं उक्त के अतिरिक्त जनहित गारण्टी अधिनियम–2011 के अन्तर्गत दोषी कार्मिकों के विरूद्ध कृत कार्यवाही/दिये गये दण्ड की स्पष्ट सूचना/विवरण (यथा–नाम, पदनाम एवं दिया गया दण्ड/आर्थिक दण्ड) भी निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 की ई–मेल आई0डी0 awasanubhag3@gmail.com पर शासन को आज ही उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(अजय चौहान)
सचिव।

संख्या : 1484(1)/आठ–3–22–187 विविध/18टी0सी0–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उक्त पत्र दिनांक 23.06.2022 **(छायाप्रति संलग्न)** की प्रति इस निदेश के साथ प्रेषित कि उक्त बैठक के उपयोगार्थ टिप्पणी/आख्या आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 की ई–मेल आई0डी0 awasanubhag3@gmail.com पर **आज ही** उपलब्ध कराते हुए उक्त आहूत बैठक दिनांक 06.07.2022 में सुसंगत सूचनाओं सहित ससमय प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

(2) निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उक्त पत्र दिनांक 23.06.2022 **(छायाप्रति संलग्न)** की प्रति इस निदेश के साथ प्रेषित कि समस्त अधिकरणों से प्रश्नगत प्रकरण में निर्धारित प्रारूप पर सूचना प्राप्त करते हुए समेकित सूचना तथा उक्त बैठक के उपयोगार्थ टिप्पणी/आख्या आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 की ई–मेल आई0डी0 awasanubhag3@gmail.com पर **आज ही** उपलब्ध कराते हुए उक्त आहूत बैठक दिनांक 06.07.2022 में सुसंगत सूचनाओं सहित ससमय प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

आज्ञा से,

(अजय कुमार सिंह)
उप सचिव।

बैठक तिथि परिवर्तन
दि० 06.07.2020
अ० 04:30 से 05:30 बजे
मुख्य सचिव
SS 258/PSH/22

बैठक तिथि परिवर्तन
दिनॉक– 06 जुलाई, 2022
समय–अपरान्ह– 04.30 बजे से 05.30 बजे

प्रेषक,

के0 रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

Sl-117

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
(संलग्न सूची के अनुसार)

सचिव

लोक सेवा प्रबन्धन अनुभाग लखनऊः दिनांकः 23 जून, 2022

विषयः– उ0 प्र0 जनहित गारण्टी अधिनियम–2011 को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के संबंध में।

24.06.2022
(विनोद शर्मा)
निजी सचिव
प्रमुख सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

महोदय,

4014/Sec(A)/22

कृपया लोक सेवा प्रबंधन अनुभाग के पत्र संख्या– 1/178988/2022 दिनॉक– 16 जून, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

DS(AS)

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर **मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनॉक– 27 जून, 2022 को अपरान्ह– 04.00 – 05.00 बजे के मध्य निर्धारित बैठक को अपरिहार्य कारणवश स्थगित करते हुए अब यह बैठक दिनॉक– 06 जुलाई, 2022 को अपरान्ह 04.30–05.30 बजे निर्धारित की गयी है।**

24-06-22

3– अतः अनुरोध है कि अपने विभाग से संबंधित सूचना के साथ उक्त बैठक में निर्धारित तिथि एवं समय पर प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

(आनन्द कुमार सिंह)
निजी सचिव
सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उ0प्र0 शासन।

संलग्नक–विभागों की सूची।

भवदीय,

Signed by के0 रविन्द्र नायक
Date: 23-06-2022 14:19:24
Reason: Approved

(के0 रविन्द्र नायक)
प्रमुख सचिव।

श्री पवन
24/6/2022
S.O.-3
24-6-22

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन ।
2– संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ।
3– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, लोक सेवा प्रबंधन विभाग,उ0 प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(राज कुमार झा)
अनु सचिव।

I/178988/2022

उ0 प्र0 जनहित गारण्टी अधिनियम–2011 के अंतर्गत 369 विभागीय सेवाओं से संबंधित विभागों की सूचीः–

1– राजस्व विभाग
2– नगर विकास विभाग
3– चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
4– खाद्य एवं रसद विभाग
5– परिवहन विभाग
6– ऊर्जा विभाग
7– श्रम विभाग
8– आबकारी
9– माध्यमिक शिक्षा विभाग
10– महिला कल्याण विभाग
11– स्टाम्प एवं निबंधन विभाग
12– लोक निर्माण विभाग
13– उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग
14– समाज कल्याण विभाग
15– पशुधन विभाग
16– आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
17– कृषि विभाग
18– प्राविधिक शिक्षा विभाग
19– ग्राम्य विकास विभाग
20– दुग्ध विकास विभाग
21– उद्यान विभाग
22– चिकित्सा शिक्षा विभाग
23– पर्यावरण, वन एवं जलवायु विभाग
24– खादी तथा ग्रामोद्योग विभाग
25– उच्च शिक्षा विभाग
26– राज्य कर विभाग
27– गृह विभाग
28– औद्यौगिक विकास विभाग
29– खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग
30– वित्त विभाग
31– व्यवसासिक शिक्षा एवं कौशल विभाग
32– पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
33– सैनिक कल्याण विभाग
34– पंचायतीराज विभाग
35– चीनी उद्योग विभाग
36– दिव्यांगजन एवं सशक्तीकरण विभाग
37– अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग
38– राजनैतिक पेंशन विभाग
39– बेसिक शिक्षा विभाग
40– भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग
41– सूचना विभाग
42– नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग
43– आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग
44– सहकारिता विभाग
45– कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग